सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (र

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 17/2017

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री शिखर चन्द जैन पुत्र हरिबल्लभ जैन उम्र 64 वर्ष जाति जैन निवासी चौमुखा बाजार बारॉ जिला बारॉ (मालिक एवं विक्रेता) मैसर्स महावीर किराना स्टोर, चारमूर्ति चौराहा बारॉ
2. श्री विष्णु कुमार साबू पुत्र मुरलीधर साबू निवासी झालावाड रोड बारॉ (पार्टनर–1) मैसर्स शिव ट्रेडिंग कम्पनी झालावाड रोड बारॉ
3. श्रीमति रूकमणी देवी निवासी झालावाड रोड बारॉ (पार्टनर–2) मैसर्स शिव ट्रेडिंग कम्पनी झालावाड रोड बारॉ
4. मैसर्स शिव ट्रेडिंग कम्पनी झालावाड रोड बारॉ

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 1)
3– श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर अभिभाषक (अप्रार्थी क्रम 2 ता 4)

निर्णय दिनांक 21.12.2018

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.8.2016 को मैसर्स महावीर किराना स्टोर, चारमूर्ति चौराहा बारॉ पर पहुंचा। वहॉ पर श्री शिखर चन्द जैन पुत्र हरिबल्लभ जैन **(विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 23.8.2016 को कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड वेजिटेबल तेल सोया (शिव ब्राण्ड) 500 मी.ली.** पैक बॉटल मे विक्रय हेतु रखी हुयी थी। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड वेजिटेबल तेल सोया (शिव ब्राण्ड) 500 मी.ली.** पैक बॉटल मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **रिफाईन्ड वेजिटेबल तेल सोया (शिव ब्राण्ड) 500 मी.ली.** की पैक 4 बॉटल को वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री शिखर चन्द जैन पुत्र हरिबल्लभ जैन को 140/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा **रिफाईन्ड वेजिटेबल तेल सोया (शिव ब्राण्ड) 500 मी.ली.** की पैक 4 बॉटल को को अलग–अलग चार नमूना भाग मे कर मूल बॉटल पर ही लेबल तैयार कर, प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एएच–639 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक फेवीकोल से चिपकाये तथा धागे से बांधकर नियमानुसार चपड़ी से सील किये। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते मे लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री शिखर चन्द जैन पुत्र हरिबल्लभ जैन ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति को सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/285 दिनांक 2.11.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः– 107/FSSA/Kota/Act/2016/69 दिनांक 24.10.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड वेजिटेबल तेल सोया (शिव ब्राण्ड) 500 मी.ली. पैक बॉटल** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ा) के तहत **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से खाद्य अनुज्ञा पत्र की सूचना चाही गई। अप्रार्थी द्वारा प्रतिउत्तर मे खाद्य पदार्थ का क्रय बिल एवं खाद्य अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 29.6.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड वेजिटेबल तेल सोया (शिव ब्राण्ड) 500 मी.ली. पैक बॉटल** का विक्रय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ा) का उल्लघंन किये जाने से अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थी क्रम 1 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी महावीर किराना स्टोर का मालिक स्वामी है और रजिस्टर्ड अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी है। अप्राथी क्रम 2 रिफाईन्ड वेजिटेबल तेल शिवब्राण्ड का निर्माता है। अप्रार्थी क्रम 1 ने खुदरा विक्रय हेतु जर्ये बिल नं0 2472 दिनांक 23.8.2016 को अप्रार्थी क्रम 2 से रिफाईन्ड वेजिटेबल तेल शिव ब्राण्ड के पैकिंग खरीदे थ। अप्रार्थी क्रम 1 ने खाद्य तेल शिव ब्राण्ड का उसी स्थिति मे विक्रय किया है जिस स्थिति मे उसका क्रय किया था। अप्रार्थी क्रम 1 को उक्त खाद्य तेल क्रय करने व बेचान के समय तक उक्त खाद्य तेल शिव ब्राण्ड के मिसब्राण्ड होने का संदेह करने का कोई कारण एवं जानकारी नही थी। परिवादी द्वारा पत्र क्रमांक/एफएसएलए/2016/289 दिनांक 4.1.16 से अभियुक्त क्रम 1 से मांग किये वांछित दस्तावेजात अभियुक्त क्रम 1 ने परिवादी को संभला दिये थे। यह कि

अभिनिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक 283 दिनांक 2.11.2016 खाद्य तेल शिवब्राण्ड को अन्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 24.10.2016 मे मिथ्याछाप पाये जाने पर बिल संख्या 2472 दिनांक 23.8.2016 से क्रय किया खाद्य तेल जो शेष बचा उसे तुरन्त अपने प्रतिष्ठान महावीर किराना स्टोर से हटाकर शिव ब्राण्ड रिफाईण्ड तेल की बिक्री बन्द कर दी। अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 के अभिभाषक द्वारा कहा गया कि खाद्य निरीक्षक द्वारा आरोपित जुर्म सर्वथा असत्य एवं निराधार होने से स्वीकार नही है। अप्रार्थीगण की ओर से खाद्य निरीक्षक को नियमानुसार जवाब भी प्रेषित कर दिया है। खाद्य निरीक्षक द्वारा नियमानुसार नमूना नही लिया गया है तथा रिफाईण्ड वेजिटेबल तेल सोयाबीन शिवब्राण्ड किसी भी प्रकार से मिथ्याछाप नही है। अप्रार्थी क्रम 1 की दुकान पर यदि किसी प्रकार की छाप निकल गयी या ट्रांसपोटेशन मे गिर गई हो तो उसके लिये अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 उत्तरदायी नही है। यह कि किसी भी प्रकरण मे प्रस्तुत किये गये चालान अथवा इस्तगासा मे सर्वप्रथम फरियादी को ही अपनी साक्ष्य शहादत देने का नियम है। इसके बाद गवाहान इस्तगासा के बयान लेने का प्रावधान है। अतः सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी इस कार्यवाही मे बयान गवाहान इस्तगासा लेना वांछनीय है कि जिनसे जिरह का अधिकार अप्रार्थीगण को प्राप्त है। अप्रार्थीगण के विरूद्व की गई कार्यवाही निरस्त फरमवाई जावे।

इसके विपरीत प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि जन स्वास्थ्य प्रयोग शाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः– 107/FSSA/Kota/Act/2016/69 दिनांक 24.10.2016 के बाद अप्रार्थीगण को **रिफाईन्ड वेजिटेबल तेल सोया (शिव ब्राण्ड) 500 मी.ली. पैक बॉटल** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। किन्तु उसके द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। यह प्रकरण जुर्माना किये जाने से संबंधित है, इसमे साक्ष्य गवाहान की आवश्यकता नही है। यदि यह प्रकरण सजा से संबंधित होता तो सिविल न्यायालय मे दर्ज होता ओर वहा पर साक्ष्य गवाहान को पेश किया जाता है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **रिफाईन्ड वेजिटेबल तेल सोया (शिव ब्राण्ड) 500 मी.ली. पैक बॉटल** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी क्रम 1 को 5,000/– रूपये, अप्रार्थी क्रम 2 ता 4 प्रत्येक को 10,000/– रू. 10,000/– रूपये, इस प्रकार कुल जुर्माना राशि 35,000/–रूपये अक्षरे पैत्तीस हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)